संख्या- 41 /2025/ 319 /चार-2025-1891933

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 24 जनवरी, 2025**

विषय:- गणतन्त्र दिवस समारोह के अवसर पर 'संस्कृति का संगम' प्रस्तुति पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 4959/सं0नि0-15(121)/2024-25, दिनांक 20 जनवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गणतन्त्र दिवस समारोह के अवसर पर 'संस्कृति का संगम' प्रस्तुति हेतु रू0 28,97,300.00 का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार गणतन्त्र दिवस समारोह के अवसर पर 'संस्कृति का संगम' प्रस्तुति हेतु रू0 27,02,600.00 (रू0 सत्ताइस लाख दो हजार छ: सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र.सं.	विवरण	धनराशि
1-	लोक कलाकारों एवं कोरियोग्राफर के मानदेय एवं किराये पर व्यय	3,78,000.00
2-	मे0 लोक छन्द कल्चरल यूनिट (सुश्री मैत्रेयी पहाड़ी, दिल्ली।)	10,00,000.00
3-	लोक कलाकारों, कोरियोग्राफर के आवास एवं भोजन पर व्यय (53 कलाकार, 07 दिवस)	4,90,000.00
4-	स्थानीय यातायात पर व्यय (07 दिवस)	2,70,000.00
5-	प्रस्तुति सामग्री, प्रोप्स आदि।	50,000.00
6-	पूर्वाभ्यास/प्रस्तुति हेतु साउण्ड एवं अन्य व्यवस्थाएं (04 दिवस)	70,000.00
7-	पूर्वाभ्यास/प्रस्तुति हेतु बैक स्टेज/सूक्ष्म जलपान (05 दिवस)	90,000.00
	कुल योग	23,48,000.00
	जी0एस0टी0 (क्रमांक-2 से 7 पर)	3,54,600.00
	योग (रूपया सत्ताइस लाख दो हजार छ: सौ मात्र)	27,02,600.00

3. शर्तें/ प्रतिबन्ध -

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(4) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले लोक कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार कराया जायेगा।
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(7) संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(8) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(10) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-57/18-1-2024-97 (ल0उ0) /2016 दिनांक 26, नवम्बर, 2024 द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।
(11) कलाकारों के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी। आवास की व्यवस्था गोमती होटल में की जायेगी तथा वाहनों की व्यवस्था अपटूवर्स से सुनिश्चित की जायेगी।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय- 24-एक भारत श्रेष्ठ भारत-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या - 41 /2025 / 319 (1)/चार-2025-1891933 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।